कोटक महिंद्रा बैंक लि.

निगमित पहचान सं. L65110MH1985PLC038137 www.kotak.com
पंजीकृत कार्या: 27–बीकेसी, सी–27, जी–ब्लॉक, बांद्रा–कुर्ला कॉम्प्लेक्स, बांद्रा (ई), मुंबई–400051 शाखा कार्यालय, 1/11, पहली मंजिल, ईस्ट पटेल नगर, नई दिल्ली–110008

अचल संपत्तियों की ई–नीलामी सह बिक्री सूचना

प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियमावली, 2002 के नियम 8(6) के प्रावधानों के साथ पठित वित्तीय परिसंपत्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्गठन तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के अंतर्गत अचल संपत्तियों की बिक्री के लिए ई–नीलामी बिक्री सूचना

एतद्द्वारा सर्वसाधारण को और विशेष रूप से ऋणी(यों) व गारंटर(ओं) और/या गिरवीकर्ता (ओं) को सूचित किया जाता है कि कोटक महिंद्रा बैंक लिमिटेड ("प्रतिभूतित ऋणदाता") को गिरवी/प्रभारित नीचे वर्णित अचल संपत्ति(यों), जिस पर प्रतिभूतित ऋणदाता के प्राधिकृत अधिकारी ने कब्जा ले लिया था, द्वारा ऋणी/यों नामक **(1) मैसर्स सोलिटेयर फूड्स प्राइवेट लिमिटेड (ऋणी) और 2. श्री संदीप नागर (गारंटर) (3) शक्ति छाबड़ा (गारंटर) (4) श्री राजीव कल्टागेड़िया (गारंटर), (5) श्रीमती पुष्पा सिंह (गारंटर व गिरवीकर्ता), (6) श्री लव ओझा (गारंटर) और (7) श्री अमित चौहान (गारंटर)** से कोटक महिंद्रा बैंक, मौजूदा प्रतिभूतित ऋणदाता को देय भुगतान/वसूली तक कम्पाउंड ब्याज के फुटिंग पर अनुबंध दरों पर भावी ब्याज और उसपर अन्य शुल्कों सहित **14 सितंबर, 2015 तक रु. 4,08,36,738.33/– (रुपए चार करोड़ आठ लाख छत्तीस हजार सात सौ अड़तीस व पैसे तैंतीस केवल)** की वसूली के लिए **30 जुलाई, 2020 को "जहां है जैसी है", जो है जैसी है", और "जहां कहीं भी है"** के आधार पर बेची जाएगी। नीलामी में रखे जाने वाली अचल संपत्तियों का विवरण/वर्णन, आरक्षित मूल्य, जमा धरोहर राशि और नीलामी अधिसूची निम्नानुसार है:

गिरवीकर्ता/ओं के नाम	ई–नीलामी के लिए रखी जाने वाली अचल संपत्ति का विवरण	ऑनलाइन बोली जमा करने की अंतिम तिथि	ई–नीलामी की तिथि व समय	आरक्षित मूल्य (रुपए) / जमा धरोहर राशि (ईएमडी) (रुपए)
श्रीमती पुष्पा सिंह	संपत्ति बिल्डिंग प्लॉट नं. 16 के सभी भाग व पार्सल क्षेत्र माप 450 वर्ग मीटर सभी वर्तमान व भावी अधिकारों, टाइटल, हित, एजेमेंट्स, सुविधाएं, फीटिंग्स, फिक्सचर्स, कनेक्शन्स, कॉमन ड्राइववे में अधिकार, लिफ्ट (यदि कोई है), एटेंस, पैसेज, स्टेयरकेस, वर्तमान व भावी अधिकारों और उसमें दी गई अन्य कॉमन सुविधाओं, और सेवाओं के साथ वर्तमान व भावी स्ट्रक्चर्स के सहित, ब्लॉक–बी, सेक्टर 72, नोएडा, जिला– गौतम बुद्ध नगर, उत्तर प्रदेश में स्थित	29 जुलाई 2020 शाम 04.00 बजे तक	30 जुलाई 2020 सुबह 11.00 से दोपहर 12.00 के बीच	रु.1,50,00,000/- (रुपए एक करोड़ पचास लाख केवल) / रु.15,00,000/- (रुपए पंद्रह लाख केवल)

अधोहस्ताक्षरी को अपने प्रतिनिधि/एजेंट के द्वारा **22 जुलाई, 2020 को दोपहर 1.00 बजे से 02.00 बजे** तक संभावित विक्रेताओं के अनुरोध पर उक्त संपत्ति की जांच का प्रबंध करने का पूर्ण निर्णय लेने का अधिकार है।

महत्वपूर्ण नियम व शर्तें:

1. ई–नीलामी केवल प्रत्येक 5 मिनट की अवधि के असीमित विस्तार के साथ **30 जुलाई, 2020 को सुबह 11.00 से दोपहर 12 बजे** तक वेबसाइट **https://kotakbank.auctiontiger.net** के माध्यम से "ऑनलाइन इलैक्ट्रानिक बोली" द्वारा आयोजित की जाएगी।
2. ई–नीलामी के बारे में विवरण के लिए, इच्छुक बोलीदाता **मैसर्स ई–प्रोक्योरमेंट टेक्नोलॉजिस लि., बी–704–5, वॉल स्ट्रीट–।।, ओरिएंट क्लब के सामने, गुजरात कॉलेज के पास, एलिस ब्रिज, अहमदाबाद, संपर्क व्यक्ति श्री राम शर्मा – 06351896834, ई–मेल: delhi@auctiontiger.net, ramprasad@autiontiger.net** नितिश झा– 7982880393, हैल्पलाइन नं. 079–61200595/520/548, हैल्पलाइन ई–मेल: **id-support@autiontiger.net** से संपर्क कर सकते हैं।
3. इच्छुक बोलीदाता नीलामी विवरण और बिक्री की नियम व शर्तों के लिए बैंक की आधिकारिक वेबसाइट **https://www.kotak.com/en/bank-auctions.html** पर जा सकते हैं।
4. नीलामी बिक्री की विस्तृत नियम व शर्तों के लिए, बोलीदाताओं को पोर्टल **https://kotakbank.auctiontiger.net** देखने की सलाह दी जाती है और उक्त नियम व शर्तें बोली प्रक्रिया में भाग लेने वालों को बाध्य करेंगी।
5. यह अनुरोध किया जाता है कि इच्छुक बोलीदाताओं को बोली व अन्य दस्तावेज अपलोड करने से पहले पोर्टल **https://kotakbank.auctiontiger.net** से लॉगिन आईडी व पासवर्ड बनाने की आवश्यकता होगी।
6. बोली फॉर्म निर्धारित फॉर्म में भरे जाने चाहिए और 29 जुलाई 2020 को शाम 4.00 बजे तक या पहले पोर्टल **https://kotakbank.auctiontiger.net** पर बोलीदाताओं के केवाईसी दस्तावेजों के सहित केवल जमा/अपलोड किए जाने चाहिए और विधिवत भरे और हस्ताक्षरित दस्तावेजों और बोलीदाताओं के केवाईसी की स्कैनड प्रतियां मेल **gs.pandey@kotak.com** और **batesh.thakur@kotak.com** पर भेजी जानी चाहिए। बोलीदाता को ई–मेल विषय "मैसर्स सोलिटेयर फूड्स प्राइवेट लिमिटेड से संबंधित संपत्ति की खरीद हेतु" लिखना होगा।
7. सभावित बोलीदाता उक्त वर्णित सपर्क नंबरों पर मैसर्स ई–प्रोक्योरमेंट टेक्नोलॉजिस लिमिटेड (ऑक्शन टाइगर) से लॉगिन आईडी और पासवर्ड बनाने और ऑनलाइन बोली प्रक्रिया के लिए ऑनलाइन प्रशिक्षण प्राप्त कर सकते हैं।
8. **जमा धरोहर राशि (ईएमडी) 29 जुलाई, 2020 को शाम 4.00 बजे तक या पहले खाता सं. 0641012527200, कोटक महिंद्रा बैंक लि., नरीमन प्वाइंट शाखा, मुंबई, आईएफएससी कोड: KKBK0000958 के क्रेडिट को आरटीजीएस/एनईएफटी/फंड ट्रांसफर के माध्यम से जमा की जाएगी। ईएमडी राशि जमा किए बिना जमा की गइ बोली को स्वयं अस्वीकार माना जाएगा। प्रस्तावित बोलीदाता द्वारा जमा ईएमडी पर कोई ब्याज नहीं दिया जाएगा।**
9. जमा की गई बोली का मूल्य आरक्षित मूल्य के बराबर और/या अधिक होगा और बोली प्रक्रिया के दौरान, बोलियां जमा करने वाले बोलीदाता रु. 1,00,000/– (रुपए एक लाख केवल) के गुणक में अपने प्रस्तावों में सुधार कर सकेंगे।
10. ई–नीलामी प्रक्रिया के बंद होने के समय में अंतिम 5 मिनट के भीतर रखी गई किसी बोली के मामले में, बंद समय तुरंत व स्वयं आगे 5 मिनटों के लिए विस्तारित हो जाएगा।
11. सफल बोलीदाता को उक्त अनुसार निर्धारित मोड में ई–नीलामी बिक्री प्रक्रियाओं के बंद होने पर तुरंत या निम्नलिखित कार्य दिवस पर यदि व्यापार घंटे ई–नीलामी के दिन पर बंद होते हैं को उच्चतम बोली राशि (पहले से चुकता ईएमडी सहित) का 25 प्रतिशत जमा करना होगा। उच्चतम बोली राशि का शेष 75 प्रतिशत तिथि जिसे ऐसी सफल बोलीदाता को की गई बिक्री की स्वीकृति/सुनिश्चितीकरण से 15 दिनों के भीतर या सरफेसी अधिनियम, 2002 और प्रतिभूतित हित नियमावली, 2002 के प्रावधानों के भीतर और प्राधिकृत अधिकारी के निर्णय पर ऐसी विस्तारित अवधि पर जमा की जानी चाहिए।
12. उच्चतम बोलीदाता को पूर्ण नीलामी मूल्य और अन्य आकस्मिक व्ययों के वसूली का विषय में उसके पक्ष में बिक्री प्रमाणपत्र जारी होने तक संपत्ति पर कोई अधिकार और टाइटल नहीं होगा। बिक्री ई–नीलामी नियम व शर्तों और प्रभाव से प्रतिभूति ऋणदाता द्वारा सुनिश्चितीकरण का विषय होगी।
13. यदि सफल बोलीदाता पूर्ण बोली/नीलामी राशि जमा करने में असफल रहता है तो सफल बोलीदाता द्वारा पहले से जमा राशि को जब्त कर लिया जाएगा और दोषी बोलीदाता उक्त की गई राशि या संपत्ति पर कोई दावा नहीं कर पाएगा। प्राधिकृत अधिकारी नीलामी संपत्तियों के संबंध में सरफेसी अधिनियम, 2002 और प्रतिभूति हित नियमावली, 2002 के प्रावधानों के संबंध में उसे उपलब्ध एक या अधिक अधिकारों का प्रयोग करने के लिए स्वतंत्र होगा।
14. उक्त वर्णित अनुसार निर्धारित अवधि के भीतर पूरी बिक्री सुनिश्चितीकरण प्राप्ति पर, प्राधिकृत अधिकारी बिक्री प्रमाणपत्र जारी करेगा और इसके बाद बिक्री पूरी होगी और कोटक महिंद्रा बैंक लिमिटेड किसी दावे पर विचार नहीं करेगा।
15. बिक्री प्रमाणपत्र केवल जमा की गई बोली के नाम पर ही जारी किए जाएंगे। बोली में वर्णित व्यक्ति के अलावा किसी अन्य व्यक्ति(यों) के नाम के बिक्री प्रमाणपत्र में शामिल/जुड़ने के अनुरोध पर विचार नहीं किया जाएगा।
16. असफल बोलीदाता/ओं को ईएमडी राशि 10 (दस) कार्यदिवसों के भीतर और बिना किसी ब्याज के आरटीजीएस/एनईएफटी/फंड ट्रांसफर के द्वारा उनके खाते में कोटक महिंद्रा बैंक लि. के द्वारा वापस कर दी जाएगी।
17. प्राधिकृत अधिकारी को बिना कोई कारण दिए अधिसूचित ई–नीलामी बिक्री आगे बढ़ाने/रद्द करने या किसी बोली को स्वीकार या अस्वीकार करने का पूर्ण अधिकार होगा। बोलियों की जमा करने के बाद ई–नीलामी बिक्री के आगे बढ़ने/रद्द होने के मामले में बोलीदाताओं द्वारा जमा ईएमडी ब्याज के बिना वापस कर दी जाएगी और बोलियां अस्वीकार किए जाने के मामले में, प्राधिकृत अधिकारी निजी समझौते द्वारा संपत्ति की बिक्री के लिए किसी बोलीदाता या अन्य पार्टियों के साथ बातचीत कर सकता है।
18. यदि कोई बोलीदाता नीलामी के अंतर्गत 1 संपत्ति से अधिक के लिए बोली लगाने का इच्छुक है, तो बोलीदाता को उक्त वर्णित अनुसार प्रक्रिया अपनाकर प्रत्येक संपत्ति के लिए अलग से बोलियां जमा करानी होगी।
19. यहां वर्णित अनुसूची में निर्दिष्ट प्रतिभूतित संपत्तियों का विवरण प्राधिकृत अधिकारी/प्रतिभूतित ऋणदाता के बेहतर जानकारी में वर्णित किया गया है, लेकिन प्राधिकृत अधिकारी/प्रतिभूतित ऋणदाता इस घोषणा में किसी त्रुटि, गलत कथन या भूल के लिए जवाबदेह नहीं होगा।
20. माननीय डीआरटी लखनऊ के समक्ष 2019 के एस.ए. नं. 572 की विचाराधीनता को छोड़कर बैंक को कोई अन्य ऋणभार ज्ञात नहीं है और अब तक की तिथि तक उक्त संपत्ति की नीलामी पर कोई स्थगन नहीं है। इच्छुक बोलीदाता को स्थानीय प्राधिकरण के ऋणों के संबंध में स्वतंत्र पूछताछ करने की सलाह दी जाती है। प्राधिकृत अधिकारी या बैंक नीलाम की गई संपत्ति के संबंध में किसी शुल्क, ऋण, ऋणभार या सरकार या किसी अन्य के अन्य देयों के लिए उत्तरदायी नहीं होगा। इच्छुक बोलीदाता को वैधानिक देयताओं, संपत्ति कर का बकाया, बिजली ऋणों आदि के सहित संपत्ति पर ऋणभारों के संबंध में स्वयं स्वतंत्र पूछताछ करने की सलाह दी जाती है।
21. रजिस्ट्रेशन शुल्क, स्टॉप ड्यूटी, करों आदि के सहित सभी वैधानिक देय/अन्य ऋण खरीदार द्वारा वहन किए जाएंगे।
22. सभी चालित शुल्क अर्थात नगर निगम कर, रखरखाव/सोसायटी शुल्क, बिजली और पानी शुल्क और वर्तमान सूचना के अंतर्गत नीलामी–सह–बिक्री के लिए रखी गई संपत्ति के संबंध में हस्तांतरण शुल्क/फीस के सहित अन्य ऋणों या करों का भुगतान सफल बोलीदाता/खरीदार द्वारा किया जाएगा।
23. अन्य सभी आकस्मिक शुल्कों (सहित लेकिन वर्तमान नीलामी के अंतर्गत संपत्ति की सुरक्षा के लिए प्रतिभूति शुल्क या रखरखाव शुल्कों के लिए सीमित नहीं) बिक्री प्रमाणपत्र के जारी होने की तिथि से केवल उच्चतम बोलीदाता द्वारा वहन किया जाएगा जो बिक्री प्रमाणपत्र के पंजीकरण से पहले बैंक को ऐस्क्रो/दिए जाएंगे। हालांकि प्राधिकृत अधिकारी के स्वयं के निर्णय से किसी और कारणवश देरी पर भविष्य में किसी तरीके से सेटिंग के बिना छूट पर विचार जाएगा।
24. आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 194–ए के अनुसार, बिक्री प्रक्रियाओं पर टीडीएस लागू किया जाएगा, यदि बिक्री सुनिश्चितीकरण रु. 50,00,000.00 (रुपए पचास लाख केवल) और अधिक है। सफल खरीदार/बोलीदाता बिक्री मूल्य से कोटक महिंद्रा बैंक लि. के पक्ष में लागू टीडीएस कम करेगा और आय कर विभाग को उसे जमा करेगा और कोटक महिंद्रा बैंक लि. को टीडीएस जमा करने और फॉर्म 26क्यूबी/टीडीएस प्रमाणपत्र के प्रमाण चालान जमा करेगा।
25. बिक्री सख्ती से यहां वर्णित अनुसार नियम व शर्तों पर "जहां है जैसी है", "जो है जैसी है" और "जहां कहीं भी है" के आधार पर की जाएगी, हालांकि प्राधिकृत अधिकारी को किसी नियम व शर्तें में परिवर्तन करने का निर्णय लेने का पूर्ण अधिकार है बोलीदाताओं को किसी ऋणभार के संबंध में स्वयं अपनी स्वतंत्र पूछताछ, संबंधित संपत्ति के संबंध में उप–रजिस्ट्रार कार्यालय और रेवेन्यू रिकॉर्ड और म्यूनिसिपल रिकॉर्ड और किसी प्रशासनिक सरकारी रिकॉर्ड में खोज और संबंधित सपत्ति के लिए बोली जमा करने से पहले संपत्ति की प्रकृति और विवरण, स्थिति, किसी ऋणभार, ऋण, शुल्क, वैधानिक देयों आदि के संबंध में स्वयं को संतुष्ट करने की सलाह दी जाती है। कृपया ध्यान दें कि बैंक/प्राधिकृत अधिकारी/प्रतिभूतित ऋणदाता ने नीलामी के अंतर्गत संपत्ति/यों/परिसंपत्तियों के फिटनेस/टाइटल के संबंध में किसी भी तरीके की गारंटी या कोई प्रतिनिधि नहीं बनाया है। बिक्री/नीलामी सख्ती से नो रिकोर्स आधार पर की जाएगी।
26. यदि उनके द्वारा व्यय सभी लागतों, शुल्कों और व्ययों के सहित बैंक के ऋण या बैंक को स्वीकार्य अनुसार उसके भाग बिक्री के लिए निर्धारित तिथि तक या पहले किसी समय पर ऋणी/यों/गारंटर/यों/गिरवीकर्ता/ओं की ओर से/द्वारा टेंडरड हैं, परिसंपत्ति की नीलामी/बिक्री रद्द की जा सकती है। प्राधिकृत अधिकारी बिना कोई कारण बताए चाहे कुछ भी हो, किसी भी समय पर किसी या सभी बोलियों को स्वीकार या अस्वीकार करने, यदि स्वीकार्ययोग्य नहीं पाया जाता, नीलामी को आगे बढ़ाने/रद्द/समाप्त/बंद करने या शर्तों को बदलने का पूर्ण अधिकार है और इस संबंध में उसका निर्णय अंतिम माना जाएगा।
27. बोलीदाता बिक्री के नियम व शर्तों को पढ़ व समझ चुके हैं, माना जाएगा और उक्त नियम व शर्तों को मानने के लिए बाध्य होंगे।
28. बोलीदाताओं को उचित इंटरनेट कनेक्टिविटी, पावर बैकअप आदि सुनिश्चित करना होगा। बैंक इंटरनेट जाने, बिजली जाने या तकनीकी कारणों या ई–नीलामी प्रक्रियाओं को प्रभावित कारणों/आकस्मिकताओं के कारण किसी बाधा के लिए उत्तरदायी नहीं होगा।
29. कोटक महिंद्रा बैंक लिमिटेड या इसके कर्मचारी बिक्री के लिए रखी गई संपत्ति/यों के संबंध में किसी व्यक्ति के किसी दावे के लिए उत्तरदायी नहीं होंगे।
30. वर्तमान सूचना बैंक की आधिकारिक वेबसाइट **www.kotak.com** पर भी अपलोडिड है और इच्छुक पार्टियां उसे देख भी सकती हैं।
31. विस्तृत विवरण के लिए, कृपया **प्राधिकृत अधिकारी श्री बटेश ठाकुर (मोबाइल नं. +91–9953690994) या बैंक के अधिकारी श्री विनोद बहरानी (मोबाइल नं. +91–9810004107)** से संपर्क कर सकते हैं।

प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियमावली, 2002 के नियम 8(2), 8(6), 8(7) और 9(1) के अंतर्गत 15 दिनों की वैधानिक सूचना: ऋणी)/गारंटर/गिरवीकर्ताओं को एतद्द्वारा पूर्ण में देयता का छुड़ाने और इस सूचना की तिथि से 15 (पंद्रह) दिनों के भीतर अब तक की तिथि तक ब्याज व व्ययों सहित उक्त वर्णित अनुसार देयों का भुगतान करने की सूचना दी जाती है, असफल होने पर 'प्रतिभूतित संपत्ति' (उक्त वर्णित) को उक्त वर्णित नियम व शर्तों अनुसार बेचा जाएगा। अंग्रेजी और भाषिक समाचार पत्र में बिक्री सूचना के प्रकाशनों के बीच किसी विवाद के मामले में, तब ऐसे मामले में अंग्रेजी समाचार पत्र भाषिक समाचार पत्र से मान्य होगा और इसे अंतिम कॉपी के रूप में माना जाएगा, अस्पष्टता को दूर किया जाएगा।

स्थान: दिल्ली दिनांक: 10.07.2020

प्राधिकृत अधिकारी, कोटक महिंद्रा बैंक लि. के लिए

बिजनेस स्टेंडर्ड, हिन्दी, 13-07-2020

Scanned with CamScanner